रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2166] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2015/आश्विन 16, 1937
No. 2166] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2015/ASVINA 16, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2736(अ).—केंद्रीय सरकार द्वारा इज़राइल राज्य की सरकार के साथ इज़राइल राज्य में किसी व्यक्ति पर दांडिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या कार्यान्वयन के लिए इंतजाम किए गए हैं

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के अनुसरण में यह विनिर्दिष्ट करती है कि –

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति को समन, या

(ख) किसी व्यक्ति को उसे हाजिर होने और दस्तावेजों या अन्य चीज को प्रस्तुत करने या उसे हाजिर करने के लिए समन, या

(ग) तलाशी वारंट

भारत में किसी न्यायालय द्वारा दो प्रतियों में इज़राइल राज्य में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिकारिता रखने वाले उस देश के किसी न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को केंद्रीय प्राधिकारी द्वारा अर्थात् इज़राइल राज्य में सरकार के न्याय मंत्रालय से उसमें नामित व्यक्ति पर ऐसे समन की तामील या ऐसे वारंट के निष्पादन के लिए जारी किया जा सकेगा । भारत में संबंधित न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट से समन जारी करते समय गृह मंत्रालय के पत्र सं. 25016/17/2007-विधिक प्रकोष्ठ, तारीख 11 फरवरी, 2009 में अंतर्विष्ट समग्र मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करना अपेक्षित होगा ।

2. केंद्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि ऐसा समन या वारंट इज़राइल राज्य की सरकार के न्याय मंत्रालय को पारेषित करने के लिए आई एस-2 प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को भेजा जाएगा ।

[फा. सं. 12015/3/2015-/आईसी-3]

केशव कुमार पाठक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2015

S.O. 2736 (E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the State of Israel for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters, on any person in Israel;

Now, therefore, in pursuance of clause (ii) of sub-section (1) of section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that –

(a) a summons to an accused person, or

(b) a summons to any person requiring him to attend and produce documents or other thing, or to produce it, or

(c) a search-warrant

may be issued by a Court in India in duplicate, to the Court, Judge or Magistrate in Israel, having authority under the law for the time being in force in that country, through the Central Authority, that is, the Ministry of Justice, Government of the State of Israel, to serve such summons or execute such warrant on the person named therein. The concerned Court, Judge or Magistrate in India while issuing summons are required to comply with the comprehensive guidelines contained in Ministry of Home Affairs letter No. 25016/17/2007-Legal Cell, dated the 11th February, 2009.

2. The Central Government further directs that such summons or warrant shall be sent to the IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Central Authority, that is, the Ministry of Justice, Government of the State of Israel.

[F. No. 12015/3/2015-IC-III]

KESHAV KUMAR PATHAK, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2737(अ).—केंद्रीय सरकार द्वारा इज़राइल राज्य की सरकार के साथ इज़राइल राज्य में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में, समन की तामील या वारंट का निष्पादन करने के लिए इंतजाम किया गया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उप-धारा (2) के परंतुक के अनुसरण में यह विनिर्दिष्ट करती है कि जब भारत का कोई न्यायालय किसी ऐसे समन या तलाशी वारंट का निष्पादन करता है जो इज़राइल राज्य में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट से प्राप्त हुआ है तो ऐसे मामलों में प्रस्तुत दस्तावेजों या चीजों या तलाशी में पाई गई वस्तुओं को ऐसे समन या तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय को पारेषित करने के लिए आई एस-2 प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को भेजा जाएगा।

[फा. सं. 12015/3/2015-/आईसी-3]

केशव कुमार पाठक, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2015.

S.O. 2737(E).— Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the State of Israel for services or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in Israel;

Now, therefore, in pursuance of the proviso to sub-section (2) of section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that in case where a Court in India executes any summons or search warrant received from a Court, Judge or Magistrate in Israel, having authority under the law for the time being in force in that country, the documents or things produced or things found in search shall be forwarded to the Court issuing such summons or search warrant through IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

[F. No. 12015/3/2015-IC-III]

KESHAV KUMAR PATHAK, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2738(अ).—केंद्रीय सरकार द्वारा इज़राइल राज्य की सरकार के साथ इज़राइल राज्य में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में, समन की तामील या वारंट का निष्पादन करने के लिए इंतजाम किया गया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ख की उपधारा (2) के अनुसरण में यह विनिर्दिष्ट करती है कि किसी आपराधिक मामले में किसी अन्वेषण या जांच के अनुक्रम में किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन जिनकी इज़राइल राज्य में किसी स्थान पर तामील या निष्पादन किया जाना है को इससे उपाबद्ध प्ररूप में जारी किया जाएगा और ऐसे समनों को आई एस-2 प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को केन्द्रीय प्राधिकारी अर्थात् इज़राइल राज्य सरकार के न्याय मंत्रालय को पारेषित किए जाने के लिए भेजा जाएगा।

प्ररुप
साक्षियों को समन

[दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 105ख की उप-धारा (2) देखिए]

सेवा में
इज़राइल राज्य में न्यायालय या न्यायाधीश /मजिस्ट्रेट

(द्वारा केंद्रीय प्राधिकारी अर्थात् इज़राइल राज्य की सरकार का न्याय मंत्रालय)

मेरे समक्ष यह आवेदन किया गया है कि (अभियुक्त का नाम) (पता) (या जो उस बात के लिए संदिग्ध है) ने अपराध (समय और स्थल के साथ अपराध का संक्षिप्त विवरण) कारित किया है और मुझे यह प्रतीत होता है कि आप अभियोजन के लिए तात्विक साक्षय दे सकते हैं या कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत कर सकते हैं;

इसलिए आप ऐसे दस्तावेजों या चीज को प्रस्तुत करने के लिए या इसका साक्ष्य देने के लिए कि आप उक्त आवेदन के विषय के बारे में क्या जानते हैं। न्यायालय के समक्ष.....दिन को प्रात:/अपराह्न में हाजिर हों, और उसके पश्चात् न्यायालय के आदेश के बिना न जाएं और आपको इसके द्वारा यह चेतावनी दी जाती है कि यदि आप उक्त तारीख को न्यायसंगत हेतुक के बिना हाजिर नहीं होंगे या उससे इंकार करेंगे, तो आपको हाजिर होने से बाध्य करने के लिए एक वारंट जारी किया जाएगा।

यह मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख.....20..... को प्रदत्त किया गया है
न्यायालय की मुद्रा

न्यायालय /मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

[फा. सं. 12015/3/2015-/आईसी-3]
केशव कुमार पाठक, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2015

S.O. 2738(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the State of Israel, for services or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in Israel;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that a summons for attendance of a person in the course of an investigation or inquiry in any criminal case, to be served or executed in any place in Israel, shall be issued in the form annexed hereto, and such summons shall be sent to IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Central Authority, that is, the Ministry of Justice, Government of the State of Israel.

FORM

SUMMONS TO WITNESS

[See sub-section (2) of section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973]

To

The Court or Judge/Magistrate in Israel ----------

(Through the Central Authority, that is, the Ministry of Justice of the Government of the State of Israel)

Whereas an application has been made before me that (Name of the accused) of (address) has (or is suspected to have) committed the offence of (state the offence concisely with time and place) and it appears to me that you are likely to give material evidence or to produce any document or other thing for the prosecution;

You are hereby summoned to appear before the Court on the ----------day of----------at ----------A.M./P.M. to produce such document or thing or to testify what you know concerning the matter of the said application, and not to depart then without the order of the Court, and you are hereby warned that, if you shall without just cause neglect or refuse to appear on the said date, a warrant will be issued to compel your attendance.

Given under my hand and the seal of the Court this ----------day of ----------20 …..

Seal of the Court

Signature of the

Judge/Magistrate

[F. No. 12015/3/2015-IC-III]

KESHAV KUMAR PATHAK, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2739(अ).—केंद्रीय सरकार द्वारा इज़राइल राज्य की सरकार के साथ भारत के न्यायालयों में आपराधिक मामलों के संबंध में इज़राइल राज्य में निवास कर रहे साक्षियों का साक्ष्य लेने के लिए इंतजाम किया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 285 की उप-धारा (3) के अनुसरण में यह विनिर्दिष्ट करती है कि -

(क) इज़राइल राज्य में साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन भारत के न्यायालयों द्वारा इससे उपाबद्ध प्ररुप में, इज़राइल राज्य के किसी सक्षम दंड न्यायालय को जिसे इज़राइल राज्य में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त है, जारी किया जाएगा; और

(ख) ऐसा कमीशन आई एस-2 प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को इज़राइल राज्य की सरकार के न्याय मंत्रालय के केन्द्रीय प्राधिकारी को पारेषण के लिए।

प्ररुप

भारत से बाहर साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन

[दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 285 की उपधारा (3) देखिए]

सेवा में

न्यायालय.....

.....

.....

(द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली)

मुझे यह प्रतीत होता है कि मामला संख्या बनाम. न्यायालय..... में..... .का न्याय के उद्देश्य के लिए साक्ष्य आवश्यक है और ऐसा साक्षी आपकी स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर निवास कर रहा है/रही है, और उसकी हाजिरी को अयुक्तियुक्त विलंब, व्यय या असुविधा के बिना उपाप्त नहीं किया जा सकता है, मैं इसके द्वारा यह अनुरोध करता हूं कि आप उपरोक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए उक्त साक्षी का ऐसे समय और स्थान पर जो आप नियत करें, हाजिर होने के लिए समन करें और ऐसे साक्षियों की परीक्षा उन परिप्रश्नों (मौखिक परीक्षा के लिए) के आधार पर करवाएं जो इस कमीशन के साथ भेजे जा रहे हैं;

कार्यवाही का कोई पक्षकार आपके समक्ष अपने काउंसेल या अभिकर्ता द्वारा या यदि अभिरक्षा में नहीं है तो स्वयं हाजिर हो सकेगा और उक्त साक्षी की (यथास्थिति) परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या पुन:परीक्षा कर सकेगा;

और, मैं, आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप उक्त साक्षी के उत्तर लेखबद्ध करवाएं और उन सभी बहियों, पत्रों, कागजों और दस्तावेजों को पहचान के लिए सम्यक रुप से चिन्हित कराएं जो ऐसी परीक्षा के दौरान पेश किए जाएं,और आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप ऐसी परीक्षा को अपनी सरकारी मुद्रा और अपने हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित करें और उसे इस कमीशन के साथ अद्योहस्ताक्षरी को गृह मंत्रालय (आई एस-2 खंड), भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा भेजें।

यह मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख.....20..... को प्रदत्त किया गया।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायालय/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

[फा. सं. 12015/3/2015-/आईसी-3]

केशव कुमार पाठक, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2015

S.O. 2739(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the State of Israel for taking the evidence of witnesses residing in Israel in relation to criminal matters in Courts in India;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 285 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that -

(a) commission for examination of witnesses in Israel shall be issued by the Courts in India in the form annexed hereto, to any competent criminal Court of Israel having authority under the law for the time being in force in Israel; and

(b) such Commission shall be sent to IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for transmission to the Central Authority, that is, the Ministry of Justice of the Government of the State of Israel.

FORM

COMMISSION TO EXAMINE WITNESS OUTSIDE INDIA

[See sub-section (3) of section 285 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)]

IN THE COURT OF----------

To

(Through the Government of India, Ministry of Home Affairs,
New Delhi.)

Whereas it appears to me that the evidence of ---------- is necessary for the ends of justice in case No. ----------, Vs.----------in the Court of ---------- and that such witness is residing within the local limits of your jurisdiction and his/her attendance cannot be procured without unreasonable delay, expense or inconvenience, I, ---------- have the honour to request and do hereby request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you will be pleased to summon the said witness to attend at such time and place as you shall appoint and that you will cause such witness to be examined upon the interrogatories which accompany this Commission (for viva voce);

Any party to the proceeding may appear before you by his/her Counsel or agent or, if not in custody, in person, and may examine, cross-examine or re-examine (as the case may be) the said witness;

And, I, further have the honour to request that you will be pleased to cause the answers of the said witness to be reduced into writing and all books, letters, papers and documents produced upon such examination to be duly marked for identification and that you will be further pleased to authenticate such examination by your official seal and signature and to return the same together with this Commission to the undersigned through IS II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this---------- day of----------20…..

Seal of the Court Signature of the

Judge/Magistrate

[F. No. 12015/3/2015-IC-III]

KESHAV KUMAR PATHAK, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2740(अ).—केंद्रीय सरकार द्वारा इज़राइल राज्य की सरकार के साथ इज़राइल राज्य में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में, समन की तामील या वारंट का निष्पादन के लिए इंतजाम किया गया है;

अत: केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 290 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में इज़राइल राज्य में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले ऐसे सभी न्यायालयों, न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों को जिन्हें इज़राइल राज्य में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त हैं, ऐसे न्यायालयों के रुप में विनिर्दिष्ट करती है, जिनके द्वारा भारत में निवास कर रहे साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी किया जा सकेगा ।

[फा. सं. 12015/3/2015-/आईसी-3]

केशव कुमार पाठक, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2015.

S.O. 2740(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the State of Israel for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in Israel;

Now, therefore, in pursuance of clause (b) of sub-section (2) of section 290 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that all Courts, Judges or Magistrates exercising jurisdiction in Israel having authority under the law in force in Israel as the Courts by which the Commission for the examination of witnesses residing in India may be issued.

[F. No. 12015/3/2015-IC-III]

KESHAV KUMAR PATHAK, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2741(अ).—केंद्रीय सरकार ने इज़राइल राज्य की सरकार के साथ इज़राइल राज्य में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में, समन की तामील या वारंट का निष्पादन के लिए इंतजाम किया गया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त संहिता के अध्याय 7क के उपबंध इज़राइल राज्य के संबंध में बिना किसी शर्त, अपवाद या प्रतिबंध के इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. 12015/3/2015-/आईसी-3]

केशव कुमार पाठक, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2015.

S.O. 2741(E).—

Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the State of Israel for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in Israel;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 105L of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that the provisions of Chapter VIIA of the said Code shall apply without any condition, exception or qualification in relation to Israel with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 12015/3/2015-IC-III]

KESHAV KUMAR PATHAK, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.